

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री सोरसिंह

बनाम

विपक्षी श्रीमती गाली

कस्म मुकदमा शा. वा.

प्रकरण संख्या 62/2023

कार्यवाही विवरण

15/04/25

पत्रा. पेश हुई। वकील उमयपहा उप.। वकील प्रतिवादी सं. 6, 9 ने संमेलित किये जाने के ज.प. का जवाब पेश करके हेतु अवरुध्द था। न्यायालय में अवरुध्द किया जाता है। मि. गाली संमेलित ज.प. के जवाब एवं सम्मन/तलवाग प्रतिवादी सं. 8 के दिनांक 16/06/25 को पेश हो।

16/06/25

पत्रा. पेश हुई। वकील उमयपहा उप.। मि. गाली संमेलित ज.प. के जवाब एवं सम्मन/तलवाग प्रतिवादी सं. 8 के दिनांक 11/08/25 को पेश हो।

11/08/25

पत्रावली पेश है। वादी-प्रतिवादी उपस्थित विपक्षी/प्रतिवादी पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/आधिपता श्री B.L. भ्रमण... प्रशासनिक कार्य होने से सुधार ने ज.प. धारा-10 पत्रावली दिनांक 15/10/25 को पेश हों। C.P.C. का पेश किया जिसे शा.का. किया गया।

आज्ञा से
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर

15/10/25

पत्रा. पेश हुई। वकील उमयपहा उप.। वकील वादी ने अवरुध्द नोट पेश करते हुए निवेदन किया कि अवरुध्द में वादीगण कार्यवाही नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वादी आधिपता के निवेदन पर वादीगण का यह वाद नोट पेश में खारिज किया जाता है।

पत्रावली केसल सुमर होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश शुभे न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला सलुम्बर

Handwritten signature/initials on the right margin.